



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 28576 वर्ष 2025

सन्तोष यादव उर्फ जयपाल सिंह यादव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुमार धनंजय, शशि कान्त शुक्ला

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : आशीष कुमार गुप्ता, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दाखिल संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार धनंजय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार गुप्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक ने मुकदमा अपराध/एफआईआर संख्या 36 वर्ष 2025, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 333, 351(2), 109, 3(5), 61(2) B.N.S., थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त प्रभु को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 09.09.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17403 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त की भूमिका के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 08.02.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया गया है कि आवेदक की निशानदेही पर एक डंडे की बरामदगी हुई है, अतः आवेदक का मामला पृथक है।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।



7. आवेदक संतोष यादव उर्फ जयपाल सिंह यादव, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त हैं, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

(रवि कांत)